भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 334
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा

***334. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः**
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों को जारी किए गए फसल मुआवजे का राज्य/क्षेत्र-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;
(ख) सरकार के पास विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली के संबंध में लंबित मुआवजे के मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन लंबित मामलों को निपटाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा” के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 334 के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, हानि का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय करने सहित आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है, के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है,न कि क्षतिपूर्ति के रूप में।

वर्ष 2021-2026 के दौरान राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के राज्य-वार आवंटन का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों को सूखे के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्रारंभ की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुआई पूर्व से फसलोपरांत तक फसल हानि के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना सूखे और हीटवेव सहित अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों/और चरम जलवायु आपदाओं के कारण होने वाली व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, दावों का निर्धारण आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत, फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रतिकूल मौसम मापदंडों, जैसे कम या अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि के आधार पर किया जाता है। अतः दावे अधिसूचित मौसम केंद्रों/वर्षा मापी केंद्रों से प्राप्त मौसम/जलवायु आंकड़ों पर निर्भर होते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। योजना के प्रावधानों के अनुसार, दावों का निर्धारण किया जाता है और बीमित किसानों को भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान नामांकित किसान आवेदनों और लाभान्वित किसानों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है। दिनांक 30.06.2025 तक, 2020-21 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) तक रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का राज्यवार विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली इस योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है।

(ख) से (घ): सूखा के लिए एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता की मांग के संबंध में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली की सरकारों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष लंबित है।

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्य रूप से निम्न कारणों से थीं (क) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी शेयर प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और किसान के व्यक्तिगत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने हेतु एकल डेटा स्रोत के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु 'डिजिक्लेम मॉड्यूल' नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक क्लेम प्राप्त हो सकें।
- खरीफ 2025 सीजन से योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और किसानों के दावों का समय पर निपटान करने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी पर 12% जुर्माने का प्रावधान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर स्वतः गणना किया जाता है।

अनुबंध- I

वर्ष 2021-2026 के दौरान राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) का राज्यवार आवंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल 2021-26
1	आंध्र प्रदेश	1192.80	1252.80	1315.20	1380.80	1449.60	6591.20
2	अरुणाचल प्रदेश	222.40	233.60	245.60	256.80	270.40	1228.80
3	असम	686.40	720.80	756.80	795.20	834.40	3793.60
4	बिहार	1510.40	1586.40	1664.80	1748.00	1836.00	8345.60
5	छत्तीसगढ़	460.80	484.00	508.00	533.60	560.00	2546.40
6	गोवा	12.00	12.80	12.80	13.60	15.20	66.40
7	गुजरात	1412.00	1482.40	1556.80	1635.20	1716.00	7802.40
8	हरियाणा	524.00	550.40	577.60	606.40	636.80	2895.20
9	हिमाचल प्रदेश	363.20	380.80	400.80	420.00	441.60	2006.40
10	झारखंड	605.60	635.20	667.20	701.60	736.00	3345.60
11	कर्नाटक	843.20	885.60	929.60	976.00	1024.80	4659.20
12	केरल	335.20	352.00	369.60	388.00	408.00	1852.80
13	मध्य प्रदेश	1941.60	2038.40	2140.80	2248.00	2360.00	10728.80
14	महाराष्ट्र	3436.80	3608.80	3788.80	3978.40	4176.80	18989.60
15	मणिपुर	37.60	39.20	41.60	44.00	45.00	208.00
16	मेघालय	58.40	60.80	64.80	67.20	71.20	322.40
17	मिजोरम	41.60	43.20	46.40	48.00	50.40	229.60
18	नागालैंड	36.80	38.40	40.80	42.40	44.80	203.20
19	ओडिशा	1711.20	1796.80	1886.40	1980.80	2080.00	9455.20
20	पंजाब	528.00	554.40	582.40	611.20	642.40	2918.40
21	राजस्थान	1580.00	1659.20	1742.40	1828.80	1920.00	8730.40
22	सिक्किम	44.80	47.20	49.60	52.00	54.40	248.00
23	तमिलनाडु	1088.00	1142.40	1200.00	1260.00	1322.40	6012.80
24	तेलंगाना	479.20	503.20	528.00	555.20	582.40	2648.00
25	त्रिपुरा	60.80	63.20	67.20	70.40	74.40	336.00
26	उत्तर प्रदेश	2062.40	2165.60	2273.60	2388.00	2507.20	11396.80
27	उत्तराखंड	832.80	874.40	918.40	964.00	1012.00	4601.60
28	पश्चिम बंगाल	1078.40	1132.80	1189.60	1248.00	1311.20	5960.00
	कुल	**23186.40**	**24344.80**	**25565.60**	**26841.60**	**28184.00**	**128122.40**

अनुबंध- II

पिछले पांच वर्षों के दौरान सूखे के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**आपदा**	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय सहायता (एनडीआरएफ के अंतर्गत)**
वर्ष 2020-21 के दौरान			
1.	राजस्थान	सूखा (खरीफ)	113.69
वर्ष 2021-22 के दौरान			
1.	राजस्थान	सूखा (खरीफ)	1003.95
2.	नागालैंड	सूखा (खरीफ/रबी)	39.284
वर्ष 2022-23 के दौरान			
1.	झारखंड	सूखा (खरीफ)	एनडीआरएफ से कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि एसडीआरएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।
वर्ष 2023-24 के दौरान			
1.	कर्नाटक	सूखा (खरीफ)	3498.82
2.	महाराष्ट्र	सूखा (खरीफ)	एनडीआरएफ से कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि एसडीआरएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।
3.	आंध्र प्रदेश	सूखा (खरीफ)	एनडीआरएफ से कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि एसडीआरएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।
		सूखा (रबी)	एनडीआरएफ से कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि एसडीआरएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।
वर्ष 2024-25 के दौरान			
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा (खरीफ)	एनडीआरएफ से कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि एसडीआरएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।
		सूखा (रबी)	एनडीआरएफ से कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि एसडीआरएफ के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी।

अनुबंध- III

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (खरीफ 24 तक) राज्यवार नामांकित किसान आवेदन और लाभान्वित किसान आवेदन										
राज्य अमेरिका	**बीमित किसान आवेदन (संख्या में)**					**लाभान्वित किसान आवेदन (संख्या में)**				
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	339	503	171	187	150	-	-	7	86	39
आंध्र प्रदेश		-	1,23,87,364	1,31,29,912	85,43,555		-	6,29,229	-	-
असम	16,54,293	9,78,243	4,89,981	7,93,506	7,61,951	3,06,903	2,93,265	26,240	99,561	20,817
छत्तीसगढ़	51,58,362	58,38,755	77,30,456	81,25,985	67,56,016	18,02,988	27,29,951	15,31,966	15,00,347	2,50,598
गोवा	84	64	403	234	216	-	-	5	2	64
हरियाणा	16,50,558	14,52,842	14,51,535	1,02,67,729	94,27,621	4,63,902	6,45,202	7,52,993	25,15,329	17,24,053
हिमाचल प्रदेश	2,40,700	2,33,721	2,67,618	2,78,055	1,09,605	1,65,498	1,16,583	1,39,516	1,07,964	31,257
जम्मू और कश्मीर		90,834	91,582	2,45,757	1,47,346		34,140	17,903	73,579	72,354
झारखंड					25,48,512					31,825
कर्नाटक	18,06,952	19,34,442	27,18,915	30,77,232	30,48,823	8,01,362	11,80,532	18,40,873	23,60,145	10,25,637
केरल	76,317	98,509	1,46,546	1,74,102	92,743	60,353	89,732	1,30,053	28,695	-
मध्य प्रदेश	**84,39,890**	**92,64,214**	**1,77,32,045**	**1,77,95,826**	**97,17,150**	**50,44,071**	**42,83,249**	**36,88,740**	**39,43,417**	**32,64,868**
महाराष्ट्र	**1,23,97,895**	**99,02,581**	**1,07,33,625**	**2,41,73,494**	**1,64,14,758**	**16,89,499**	**66,64,795**	**76,44,275**	**1,32,27,119**	**73,92,889**
मणिपुर	-	2,807	4,066	5,073	4,619	-	1,989	3,395	4,170	-
मेघालय	130	-	337	38,569	47,749	121	-	68	14,398	18,952
ओडिशा	97,52,448	81,72,952	80,20,747	1,41,60,653	1,37,81,469	17,13,945	29,70,441	17,83,312	11,49,287	7,30,087
पुदुचेरी	11,268	34,293	38,274	42,344	8,781	329	12,168	7,263	5,846	5,857
राजस्थान	1,07,59,587	3,44,53,784	3,90,71,541	3,90,16,977	2,15,31,458	25,06,058	1,18,89,993	1,16,18,304	83,11,462	27,20,571
सिक्किम	85	2,346	5,025	3,104	489	6	-	-	23	-
तमिलनाडु	58,87,626	59,11,015	61,37,961	54,56,594	3,15,826	39,99,367	22,72,586	19,37,875	17,00,553	1,48,721
तेलंगाना	-					-				
त्रिपुरा	2,57,220	3,35,504	3,56,201	3,65,378	8,231	37,120	43,836	20,515	10,905	3,554
उत्तर प्रदेश	41,90,556	40,68,701	42,83,991	60,68,754	50,72,290	6,36,141	10,36,784	12,51,998	11,84,713	14,41,310
उत्तराखंड	1,70,812	1,82,762	2,82,068	2,27,291	1,28,244	1,04,762	1,16,176	1,99,847	1,71,124	92,045
पश्चिम बंगाल				-					-	
कुल योग	**6,24,55,122**	**8,29,58,872**	**11,19,50,452**	**14,34,46,756**	**9,84,67,602**	**1,93,32,425**	**3,43,81,422**	**3,32,24,377**	**3,64,08,725**	**1,89,75,498**

अनुबंध IV

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (खरीफ 24 तक) राज्यवार रिपोर्ट किए गए, भुगतान किए गए और लंबित दावे

(रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22			2022-23		
	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00
आंध्र प्रदेश			-	-	-	-	678.81	546.73	132.08
असम	188.07	188.04	0.03	275.52	256.40	19.12	20.96	19.98	0.98
छत्तीसगढ	888.09	888.02	0.08	1,432.32	1,432.20	0.12	534.38	534.27	0.11
गोवा	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
हरियाणा	1,169.58	1,162.72	6.86	1,652.79	1,649.59	3.20	2,542.51	2,518.66	23.85
हिमाचल प्रदेश	84.87	84.63	0.24	77.24	77.11	0.13	69.21	69.06	0.15
जम्मू और कश्मीर				52.72	52.72	-	6.46	6.33	0.13
झारखंड									
कर्नाटक	1,072.19	1,070.48	1.72	1,545.11	1,543.37	1.73	2,388.74	2,386.06	2.67
केरल	127.53	127.17	0.36	102.91	102.72	0.18	183.15	183.01	0.14
मध्य प्रदेश	**7,764.32**	**7,750.78**	**13.54**	**2,810.85**	**2,803.80**	**7.05**	**1,057.86**	**1,049.47**	**8.40**
महाराष्ट्र	**1,347.52**	**1,307.85**	**39.67**	**4,781.56**	**4,778.50**	**3.06**	**5,446.46**	**5,390.90**	**55.56**
मणिपुर	-	-	-	1.45	1.45	-	1.64	1.62	0.02
मेघालय	0.07	0.07	-	-	-	-	0.01	0.01	0.00
ओडिशा	572.19	572.18	0.02	1,043.51	1,043.48	0.03	587.11	581.04	6.07
पुदुचेरी	0.54	0.54	-	2.95	2.95	-	3.80	3.55	0.25
राजस्थान	4,065.06	4,054.46	10.60	5,011.46	4,996.79	14.68	4,386.54	4,360.35	26.20
सिक्किम	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	2,653.48	2,653.39	0.09	817.13	817.13	-	918.93	917.01	1.92
तेलंगाना	-	-	-						
त्रिपुरा	2.57	2.57	-	2.64	2.64	-	2.09	2.03	0.06
उत्तर प्रदेश	502.82	502.57	0.25	930.75	930.75	-	1,007.66	977.14	30.52
उत्तराखंड	134.96	134.96	-	122.30	122.30	-	208.25	207.94	0.31
कुल	**20,573.90**	**20,500.45**	**73.45**	**20,663.21**	**20,613.90**	**49.31**	**20,044.57**	**19,755.17**	**289.41**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24			2024-25 (खरीफ 24 तक)			समेकित		
	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	0.05	0.02	0.03
आंध्र प्रदेश	2,235.12	-	2,235.12	224.87	-	224.87	3,138.80	-	2,592.07
असम	62.06	58.21	3.85	10.51	8.89	1.62	557.12	531.51	25.61
छत्तीसगढ़	588.52	588.25	0.26	114.91	111.45	3.46	3,558.22	3,554.19	4.04
गोवा	0.00	0.00	-	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
हरियाणा	273.31	265.23	8.08	282.90	262.63	20.27	5,921.08	5,858.83	62.25
हिमाचल प्रदेश	131.99	131.70	0.29	6.41	0.00	6.40	369.71	362.51	7.20
जम्मू और कश्मीर	36.36	34.62	1.74	23.67	23.25	0.43	119.21	116.92	2.29
झारखंड				20.64	-	20.64	20.64	-	20.64
कर्नाटक	3,362.14	3,349.62	12.52	1,168.74	1,163.81	4.93	9,536.91	9,513.35	23.56
केरल	47.68	47.68	-	-	-	-	461.26	460.58	0.69
मध्य प्रदेश	**954.04**	**776.16**	**177.87**	**1,101.13**	**-**	**1,101.13**	**13,688.21**	**12,380.21**	**1,308.00**
महाराष्ट्र	**9,599.23**	**9,522.62**	**76.61**	**3,737.25**	**3,588.69**	**148.56**	**24,912.02**	**24,588.57**	**323.46**
मणिपुर	2.01	2.00	0.01	-	-	-	5.10	5.08	0.03
मेघालय	14.65	14.04	0.60	9.57	9.49	0.08	24.30	23.61	0.68
ओडिशा	235.49	232.56	2.93	117.98	112.05	5.93	2,556.29	2,541.31	14.98
पुदुचेरी	1.63	0.92	0.71	2.04	0.52	1.51	10.96	8.49	2.48
राजस्थान	3,257.06	3,062.62	194.45	701.80	0.00	701.80	17,421.93	16,474.21	947.72
सिक्किम	0.01	-	0.01	-	-	-	0.03	0.02	0.01
तमिलनाडु	763.83	759.68	4.14	71.78	60.37	11.41	5,225.14	5,207.59	17.56
तेलंगाना							-	-	-
त्रिपुरा	2.10	1.88	0.23	0.46	0.46	0.01	9.87	9.57	0.29
उत्तर प्रदेश	480.20	467.70	12.50	287.43	279.42	8.00	3,208.86	3,157.58	51.27
उत्तराखंड	347.15	347.07	0.07	153.47	153.47	0.01	966.13	965.74	0.39
कुल	**22,394.58**	**19,662.59**	**2,731.99**	**8,035.60**	**5,774.51**	**2,261.09**	**91711.854**	**86306.6124 7**	**5405.241**

****